POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.02.2024

1.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा एटीएम तोड़कर रुपये चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लाख 25 हजार रुपये नगद व डीवीआर बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 09.02.2024 को मुकदमा वादी सीनियर एक्जिक्यूटिव (A-G-S Transact Technologies PVT LTD) द्वारा सूचना दी गई की HDFC Bank का ATM प्लाट नं0 A-415 में लगा है, दिनांक 02.02.2024 को सुबह 11.00 बजे ATM कस्टोडियन ने ATM विजिट किया तो पाया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ATM मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और ATM मशीन की हार्ड डिस्क मिसिंग है। ATM रुम में लगे कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गयी है और DVR कैमरा हार्ड डिस्क मिसिंग है। HDFC बैंक कैश टीम के अनुसार ATM मशीन से 1,84,800 रुपये ATM मशीन से चोरी हैं। उक्त सूचना पर थाना फेस-2 पर मु0अ0सं0 57/2024 धारा 380/427 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 15.02.2024 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तुरंत FIR दर्ज करते हुए घटना के सफल अनवारण हेतु तत्परता से कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम का गठन कर आसपास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज, इत्यादि से भिन्न-भिन्न स्थानों पर तलाश करते हुये दिनांक 15.02.2024 को उपरोक्त घटना करने वाले अभियुक्त 1.अमरजीत पुत्र सूरजपुर 2.वीरेन्द्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह को फेस-2 कट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 लाख 25 हजार, रुपये नगद व एक डीवीआर सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/2024 धारा 380/427/411 भादवि बरामद किया गया है। अभियुक्तों द्वारा एटीएम से निकाले गए रुपयों में से कुछ रुपए अभियुक्त वीरेंद्र द्वारा खर्च कर दिए गए है।

पूछताछ का विवरण--- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों ने पहले करीब 1.5 साल एक साथ काम किया था और करीब 6 महीने पहले वीरेन्द्र ने नौकरी छोड दी थी। दिनांक 31/01/24 को वीरेन्द्र नोएडा आया था और हम दोनों की मुलाकात हुई थी वीरेन्द्र ने बताया कि मेरे ऊपर काफी कर्जा है और कर्जे वालो से मैं काफी परेशान हूँ इसके बाद हम दोनों ने मिलकर पैसों का जुगाड करने के लिये सै0-80 ककराला में एचडीएफसी एटीएम को खोलकर एटीएम से टैस्टिंग कर टैक्निकल रूप से 1,84,800 रुपए निकाल लिये थे। अभियुक्त अमरजीत उपरोक्त एटीएम इंजिनियर है और अभियुक्त वीरेंद्र टेक्नीशियन है जिसके द्वारा 06 माह पहले नौकरी छोड़ी गई थी। चूंकि एटीएम इंजिनियर द्वारा चेक करने पर 02 नोट रिजेक्शन ट्रे में पहुंच जाते है, अभियुक्तों द्वारा करीब 200 बार नोटों को रिजेक्ट कराया है जिससे रिजेक्शन ट्रे में नोट एकत्र हो जाने पर इनके द्वारा निकाल लिए गए।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अमरजीत पुत्र सूरजपुर निवासी ग्राम हैबतपुर, थाना धनौरा मण्डी, जिला अमरोहा वर्तमान निवासी डबुआ कॉलोनी, थाना एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा।
2. वीरेन्द्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम दिगरौता, थाना ककरौला, जिला आगरा वर्तमान पता ज्योति नगर, वैस्ट अर्जुन नगर, थाना शाहगंज, आगरा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 380/411/427 भादवि थाना फेस-2, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01लाख 25 हजार रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/24 धारा 380/411/427 भादवि थाना फेस-2, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. 01डीवीआर काले रंग की सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/24 धारा 380/411/427 भादवि, थाना फेस-2, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगरा।